पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–8] रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 मार्च, 2007 ई0 (फाल्गुन 26, 1928 शक सम्वत्) [संख्या–11

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	65–67	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	69–88	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति / नियुक्ति

01 मार्च, 2007 ई0

संख्या 198 / तीस–1–2007–25(36) / 2006–उत्तराखण्ड प्रदेश सिविल (कार्यकारी शाखा) सेवा में साधारण श्रेणी वेतनमान में प्रोन्नति कोटे की वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 की रिक्तियों के विरुद्ध उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा कराये गये चयन में आयोग से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर राज्यपाल महोदय, निम्नलिखित तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर पद पर प्रोन्नत करते हुए तत्काल प्रभाव से दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर रखते हैं :–

क्र0सं0	नाम
	सर्व श्री
01.	नारायण दत्त पाण्डे
02.	धर्मानन्द धिल्डियाल
03.	भगवत किशोर मिश्रा
04.	हंसादत्त पाण्डे
05.	श्रीष कुमार
06.	उदय सिंह राणा
07.	बंशी लाल राणा
08.	नरेन्द्र सिंह
09.	हरक सिंह रावत
10.	मनमोहन सिंह
11.	प्रताप सिंह शाह
12.	भरतलाल फिरमाल
13.	भवान सिंह चलाल
14.	चन्द्र सिंह धर्मशक्तू
15.	जीवन सिंह नगन्याल
16.	प्रवेश चन्द्र

2. उक्त अधिकारियों की उक्त सेवा में नियुक्त किये गये तथा किये जाने वाले अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में ज्येष्ठता उत्तरांचल सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 2005 एवं उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार बाद में निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,

एस0 के0 दास,
मुख्य सचिव।

सिंचाई विभाग

विज्ञप्ति / पदोन्नति

01 मार्च, 2007 ई0

संख्या 664 / II–2007–01(430) / 03–श्री आदित्य कुमार दिनकर, अधिशासी अभियन्ता (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को अधीक्षण अभियन्ता (सिविल), वेतनमान रु0 12000–375–16500 के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि श्री उमेश कुमार के प्रतिनियुक्ति से लौटने पर रिक्त पद उपलब्ध न होने की दशा में कनिष्ठतम अधीक्षण अभियन्ता को प्रत्यावर्तित किया जायेगा। श्री दिनकर द्वारा योगदान उनके वर्तमान तैनाती स्थल पर ही किया जायेगा तथा पदस्थापना के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 हिन्दी गजट / 98–भाग 1–2007 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 मार्च, 2007 ई0 (फाल्गुन 26, 1928 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 24, 2007

No. 20/UHC/Admin. A/2007--Smt. Archana Sagar, Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital, in the vacant Court.

February 24, 2007

No. 21/UHC/Admin. A/2007--Sri Rakesh Kumar Misra, Chief Judicial Magistrate, Almora will also be the Astt. Sessions Judge [Civil Judge (Sr. Div.)]/F.T.C., Almora, in addition to his duties. However, he will not try Session Trials in that Court.

February 24, 2007

No. 22/UHC/Admin. A/2007--Sri Anuj Kumar Sangal, Chief Judicial Magistrate, Bageshwar will also be the Civil Judge (Sr. Div.), Bageshwar, in addition to his duties.

February 24, 2007

No. 23/UHC/Admin. A/2007--Sri Shrikant Pandey, Chief Judicial Magistrate, Champawat will also be the Civil Judge (Sr. Div.), Champawat, in addition to his duties.

February 24, 2007

No. 24/UHC/Admin. A/2007--Sri Nitin Sharma, Chief Judicial Magistrate, Rudraprayag will also be the Civil Judge (Sr. Div.), Rudraprayag, in addition to his duties.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd./–
V.K. MAHESHWARI,
Registrar General.

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

विज्ञप्ति

24 फरवरी, 2007 ई0

संख्या 25/XIV/91/प्रशा0 अनु0–अ–श्री शेष चन्द्र, सिविल जज (अवर खण्ड), डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़ को दिनांक 02–02–2007 से 15–02–2007 तक 14 दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 16–02–2007 महाशिवरात्रि के अवकाश को सफिक्स करने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया।

न्यायालय की आज्ञा से,
ह0/–
रवीन्द्र मैठाणी,
अपर निबन्धक।

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 27, 2007

No. 26/UHC/Admin. A/2006--District & Sessions Judge, Hardwar is hereby nominated as Special Judge (Essential Commodities Act) for Hardwar except Sub-Division Roorkee, District Hardwar U/S 12-A (2) of Essential Commodities Act, 1955, in addition to his duties.

February 27, 2007

No. 27/UHC/Admin. A/2006--Sri Kanta Prasad, Addl. District & Sessions Judge, Roorkee, District Hardwar, is hereby nominated as Special Judge (Essential Commodities Act) for the territorial jurisdiction of Tehsil Roorkee, District Hardwar U/S 12-A(2) of Essential Commodities Act, 1955, in addition to his duties.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd./–
V.K. MAHESHWARI,
Registrar General.

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

विज्ञप्ति

28 फरवरी, 2007 ई0

संख्या 28/तेरह–c/8/प्रशा0 अनु0–अ–श्री काजी गुफरान अली तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर को निम्न अवधियों का अवकाश स्वीकृत किया गया :–

1. दिनांक 13–11–2006 से 24–11–2006 तक 12 दिन का विकित्सा अवकाश।

2. दिनांक 11–12–2006 से 22–12–2006 तक 12 दिन का अर्जित अवकाश, 09–12–2006 व 10–12–2006 क्रमशः द्वितीय शनिवार, एवं रविवार के अवकाश को प्रिफिक्स करने की अनुमति सहित।

08 मार्च, 2007 ई0

संख्या 29/XIV/94/प्रशा0 अनु0–अ–श्रीमती अर्चना सागर, तत्कालीन अपर सिविल जज (अवर खण्ड), हल्द्वानी, जिला नैनीताल को दिनांक 03–02–2007 से 02–03–2007 तक 28 दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 03–03–2007 एवं 04–03–2007 होली के अवकाश को सफिक्स करने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया।

08 मार्च, 2007 ई0

संख्या 30/XIV/13/प्रशा0 अनु0–अ–श्री सत्य नारायण सिंह, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून को दिनांक 12–02–2007 से 24–02–2007 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 10–02–2007 एवं 11–02–2007 क्रमशः द्वितीय शनिवार व रविवार के अवकाश को प्रिफिक्स और दिनांक 25–02–2007 रविवार के अवकाश को सफिक्स करने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया।

08 मार्च, 2007 ई0

संख्या 31/XIII-e–22/प्रशा0 अनु0–अ–श्रीमती पुष्पा भट्ट, तत्कालीन अपर न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, ऋषिकेश, जिला देहरादून को दिनांक 15–01–2007 से 27–02–2007 तक 44 दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 13–01–2007 एवं 14–01–2007 क्रमशः द्वितीय शनिवार व रविवार के अवकाश को प्रिफिक्स करने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया।

न्यायालय की आज्ञा से,

ह0/–

रवीन्द्र मैठाणी,

अपर निबन्धक।

कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, चम्पावत

कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र

27 फरवरी, 2007 ई0

पत्रांक 123/एक–13–2006–प्रमाणित किया जाता है कि मैं, श्रीकान्त पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत, ने माननीय उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल के नोटिफिकेशन नं0 23/यू0एच0सी0/एडमिन0 ए/2007, दिनांक 24–02–2007 के अनुपालन में सिविल जज (सी0डि0), चम्पावत का अतिरिक्त पदभार, जैसा यहां व्यक्त किया गया है, दिनांक 24 फरवरी, 2007 के अपराह्न में ग्रहण किया।

मोचक अधिकारी–

श्रीकान्त पाण्डेय,

सिविल जज (सी0डी0)/

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0 (अस्पष्ट),

जनपद, न्यायाधीश, चम्पावत।

कार्यालय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, संभाग पौड़ी

कार्यालयादेश

15 दिसम्बर, 2006 ई0

पत्रांक 128/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/06–श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री चैत सिंह, निवासी ग्राम–बिलखेत, पो0ऑ0 बोंघांट, जनपद पौड़ी गढ़वाल का लाईसेंस सं0 एस0–416/के0टी0डब्लू/99 इस कार्यालय द्वारा जारी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, पौड़ी ने अपने पत्र सं0 2418/लाईसेंस/06, दि0 2–11–2006 के द्वारा सूचित किया है कि उपरोक्त वाहन चालक के द्वारा संचालित वाहन सं0 यू0ए0–12–3792 जीप टैक्सी का चालान प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा दि0 23–6–2006 को वाहन में क्षमता से अधिक सवारियां ढोने में किया गया है। वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी के द्वारा उपरोक्त वाहन चालक के लाईसेंस के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है। इस संबंध में वाहन चालक को इस कार्यालय के पत्र सं0 94/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/06, दि0 08–11–2006 को पत्र प्रेषित करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु मौका प्रदान किया। वाहन चालक कार्यालय के उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में दि0 08–12–2006 को इस कार्यालय में उपस्थित हुए हैं।

अतः इस संबंध में चालक द्वारा की गई अनियमितता के लिये मैं, सुनीता सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी, लाईसेंसिंग अधिकारी, कोटद्वार के रूप में चालक लाईसेंस सं0 एस0–416/के0टी0डब्लू/99 को केन्द्रीय मोटरयान गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 22–(I) के अन्तर्गत एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से 01 माह की अवधि के लिये निलम्बित करती हूं।

कार्यालयादेश

06 मार्च, 2006 ई0

पत्रांक /प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/07–श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी ग्राम–खुनीबड़, पो0ऑ0 निम्बुचौड़, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल का लाईसेंस सं0 वाई–119/के0टी0डब्लू/06 इस कार्यालय द्वारा जारी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, कोटद्वार ने सूचित किया है कि वाहन सं0यू0ए0–12–7152 ऑटो रिक्शा का चालान उनके द्वारा दि0 16–1–2007 को वाहन में क्षमता से अधिक सवारियां ढ़ोने में किया गया है वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार के द्वारा उपरोक्त वाहन चालक के लाईसेंस के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है। इस संबंध में वाहन चालक को इस कार्यालय के पत्र सं0 177/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/07, दि0 13–2–2007 को पत्र प्रेषित करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु मौका प्रदान किया। वाहन चालक कार्यालय के उपरोक्त पत्र के संदर्भ में दि0 26–2–2007 को इस कार्यालय में उपस्थित हुए हैं।

अतः इस संबंध में चालक द्वारा की गई अनियमितता के लिये मैं, सुनीता सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी लाईसेंसिंग अधिकारी, कोटद्वार के रूप में चालक लाईसेंस सं0 एस0–414/के0टी0डब्लू/99 को केन्द्रीय मोटरयान गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 22–(I) के अन्तर्गत एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से 02 माह की अवधि के लिये निलम्बित करती हूं।

ह0 (अस्पष्ट),

संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

80, वसंत विहार फेज 1, देहरादून–248006

अधिसूचना

17 जनवरी, 2007

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी मार्ग–दर्शिका) विनियम, 2007

संख्या एफ–9 (11) आर.जी./यूईआरसी/2007/814–भारत सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 के अधीन दिनांक 26.10.2006 को विद्युत नियम 2006 (संशोधित) अधिसूचित किए गये। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 की उपधारा (2) सपठित धारा 42 उपधारा (5) के अधीन जारी किये गए मार्ग निर्देशिका तथा उपरोक्त विनियम पूर्णतः अनुकूल है आयोग द्वारा इससे पूर्व में निर्गत मार्ग दर्शिका, दिनांक 10–02–2004 को अधिसूचित किए गये हैं, एतदद्वारा निरस्त किया जाता है और इस मार्गदर्शिका से प्रतिस्थापित किया जाता है। यह मार्गदर्शिका दिनांक 10–02–2004 को अधिसूचित उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु मंच की स्थापना के लिए मार्ग–दर्शिका) विनियम, 2004 का अतिक्रमण एवं उसको प्रतिस्थापित करती है।

अध्याय 1–प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ तथा व्याख्या :

(1) यह विनियम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी मार्ग दर्शिका) विनियम 2007 कहलायेगा।

'यह विनियम दिनांक 20.01.2007 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के विवाद (आख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य है।

(2) यह विनियम सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह विनियम, वितरण लाईसेन्सधारी के उत्तराखण्ड के सम्पूर्ण लाइसेंस क्षेत्र में लागू होगा।

(4) यह विनियम आयोग द्वारा अधिसूचित किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएं :

(1) इन विनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" का अर्थ है, विद्युत अधिनियम, 2003;

(ख) "आयोग" का अर्थ है उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग;

(ग) "शिकायतकर्ता" में निम्नलिखित का समावेश होगा–

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उपधारा (15) के अधीन परिभाषित विद्युत उपभोक्ता,

(ii) नये विद्युत संयोजन (कनेक्शन) हेतु आवेदक,

(iii) सोसाईटीज एक्ट, 1956 (1956 का 1) या तत्समय प्रभावी किसी अन्य कानून के अधीन पंजीकृत उपभोक्ता संघ, या

(iv) कोई भी अपंजीकृत उपभोक्ता संघ, जिसमें समान हित वाले उपभोक्ता हों;

(घ) "शिकायत" का तात्पर्य ऐसे पत्र अथवा प्रार्थना–पत्र से है जो विद्युत आपूर्ति/नये कनेक्शन के संयोजन अथवा वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा प्रदत्त की गई सेवाओं, लोड/मात्रा में परिवर्तन, मीटर से सम्बन्धित मामले, बीजक से सम्बन्धित मामलों को सम्मिलित करते हुए तथा ऐसे मामलों में जहां लाइसेन्सधारी ने आयोग द्वारा निर्धारित राशि से अधिक कीमत वसूल की है अथवा विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र प्रदान करने के लिये आयोग द्वारा अनुमोदित/निर्धारित दर से अधिक खर्चे वसूले हैं, से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण हेतु मंच को प्रस्तुत किया गया है।

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित विषय इस विनियम के अधीन 'शिकायत' नहीं माने जायेंगे।

(v) विद्युत का अनाधिकृत उपयोग, जैसा कि अधिनियम की धारा 126 में उपबंधित है,

(vi) अपराध एवं शक्तियाँ जैसा कि अधिनियम की धारा 135 से 139 तक में उपबंधित है,

(vii) वर्णित विद्युत–आपूर्ति/वितरण या विद्युत उपयोग के दौरान दुर्घटना, जैसा कि अधिनियम की धारा 161 में उपबंधित है, तथा

(viii) ऐसे मामलों के बकाया की वसूली जहां विद्युत बिल पर कोई विवाद नहीं है।

(ण) "वितरण लाइसेन्सधारी" का तात्पर्य एसे लाइसेन्सधारी से है जो सम्बन्धित लाइसेन्स क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण प्रणाली के संचालन एवं रख–रखाव के लिए अधिकृत हो।

(च) "मंच" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (5) जिसे इस विनियम के साथ पढ़ा जाय, के अधीन वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु बनाया मंच जो उपरोक्त धारा के अन्तर्गत गठित किये जाने वाले मंच से है।

(छ) "लाइसेन्स धारी का अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा लाइसेन्सधारी के कार्यों के प्रबन्धन अथवा अधिनियम के प्राविधानों के अधीन किसी कृत्य के निर्वहन हेतु पूर्ण कालिक अथवा अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया गया है, जिसके लिए उसे लाइसेन्सधारी द्वारा वेतन या मजदूरी अथवा मानदेय या बैठक फीस (सिटिंग फीस) अथवा किसी अन्य रूप में पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है।

(2) इस विनियम में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं है परन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में दिए गए हैं।

(2) यह विनियम सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह विनियम, वितरण लाईसेन्सधारी के उत्तराखण्ड के सम्पूर्ण लाइसेंस क्षेत्र में लागू होगा।

(4) यह विनियम आयोग द्वारा अधिसूचित किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएं :

(1) इन विनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" का अर्थ है, विद्युत अधिनियम, 2003;

(ख) "आयोग" का अर्थ है उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग;

(ग) "शिकायतकर्ता" में निम्नलिखित का समावेश होगा–

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उपधारा (15) के अधीन परिभाषित विद्युत उपभोक्ता,

(ii) नये विद्युत संयोजन (कनेक्शन) हेतु आवेदक,

(iii) सोसाईटीज एक्ट, 1956 (1956 का 1) या तत्समय प्रभावी किसी अन्य कानून के अधीन पंजीकृत उपभोक्ता संघ, या

(iv) कोई भी अपंजीकृत उपभोक्ता संघ, जिसमें समान हित वाले उपभोक्ता हों;

(घ) "शिकायत" का तात्पर्य ऐसे पत्र अथवा प्रार्थना–पत्र से है जो विद्युत आपूर्ति/नये कनेक्शन के संयोजन अथवा वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा प्रदत्त की गई सेवाओं, लोड/मात्रा में परिवर्तन, मीटर से सम्बन्धित मामले, बीजक से सम्बन्धित मामलों को सम्मिलित करते हुए तथा ऐसे मामलों में जहां लाइसेन्सधारी ने आयोग द्वारा निर्धारित राशि से अधिक कीमत वसूल की है अथवा विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र प्रदान करने के लिये आयोग द्वारा अनुमोदित/निर्धारित दर से अधिक खर्चे वसूले हैं, से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण हेतु मंच को प्रस्तुत किया गया है।

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित विषय इस विनियम के अधीन 'शिकायत' नहीं माने जायेंगे।

(v) विद्युत का अनाधिकृत उपयोग,जैसा कि अधिनियम की धारा 126 में उपबंधित है,

(vi) अपराध एवं शक्तियाँ जैसा कि अधिनियम की धारा 135 से 139 तक में उपबंधित है,

(vii) वर्णित विद्युत–आपूर्ति/वितरण या विद्युत उपयोग के दौरान दुर्घटना, जैसा कि अधिनियम की धारा 161 में उपबंधित है, तथा

(viii) ऐसे मामलों के बकाया की वसूली जहां विद्युत बिल पर कोई विवाद नहीं है।

(ण) "वितरण लाइसेन्सधारी" का तात्पर्य एसे लाइसेन्सधारी से है जो सम्बन्धित लाइसेन्स क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण प्रणाली के संचालन एवं रख–रखाव के लिए अधिकृत हो।

(त) "मंच" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (5) जिसे इस विनियम के साथ पढ़ा जाय, के अधीन वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु बनाया मच जो उपरोक्त धारा के अन्तर्गत गठित किये जाने वाले मंच से है।

(थ) "लाइसेन्स धारी का अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा लाइसेन्सधारी के कार्यों के प्रबन्धन अथवा अधिनियम के प्राविधानों के अधीन किसी कृत्य के निर्वहन हेतु पूर्ण कालिक अथवा अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया गया है, जिसके लिए उसे लाइसेन्सधारी द्वारा वेतन या मजदूरी अथवा मानदेय या बैठक फीस (सिटिंग फीस) अथवा किसी अन्य रूप में पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है।

(2) इस विनियम में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं है परन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में दिए गए हैं।

अध्याय 2–उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु मंच

3. उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु मंच का गठन :

(1) अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (5) की शर्तों के अनुसार प्रत्येक वितरण लाइसेन्सधारी, इस विनियम के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु एक या अधिक, जैसा कि आयोग निर्धारित करे, मंच की स्थापना करेगा।

(2) प्रत्येक मंच में निम्नलिखित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले लाइसेन्सधारी के तीन अधिकारी होंगे जिनकी नियुक्ति वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा आयोग के पूर्व अनुमोदन के उपरान्त की जायेगी।

(क) मंच का न्यायिक सदस्य सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश अथवा सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारी जिसे न्यूनतम 20 वर्ष का विधिक/न्यायिक क्षेत्र का अनुभव हो अथवा सेवा निवृत्त प्रशासनिक अधिकारी जो कि जिलाधिकारी से निम्न स्तर का न हो, होगा।

(ख) तकनीकी सदस्य लाइसेन्सधारी के मुख्यालय में सेवारत अधिकारी जो कि महाप्रबन्धक से निम्न स्तर का न हो अथवा लाइसेन्सधारी कम्पनी का उसी श्रेणी का सेवा निवृत्त अधिकारी जो कि विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त हो तथा विद्युत वितरण से सम्बन्धित मामलों का 15 वर्ष का अनुभव रखता हो या किसी भी आई0आई0टी0 के विद्युत अभियांत्रिकी विभाग या किसी सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय का सेवा निवृत्त प्राध्यापक होगा।

(ग) उपभोक्ता सदस्य आयोग द्वारा नामित किया जायेगा तथा यह ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जिसे विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं की पर्याप्त जानकारी और अनुभव हो।

(3) उपरोक्त खण्ड 2 (ग) द्वारा नियुक्त उपभोक्ता सदस्य एवं एक और सदस्य मंच की बैठक का गणपूर्ति (कोरम) करेंगे।

(4) आयोग वितरण लाइसेन्सधारी को मंच के किसी सदस्य को उपरोक्त खण्ड 2 (ग) के उपबन्धों से उपबंधित मंच की रचना और अर्हता के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित करने का आदेश दे सकता है यदि आयोग की राय में उपभोक्ताओं की समस्याओं के समुचित एवं प्रभावशाली रूप से निवारण करने हेतु ऐसा प्रतिस्थापन आवश्यक है।

(5) सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(6) वितरण लाइसेन्सधारी यह सुनिश्चित करेगा कि मंच के किसी सदस्य का पद 30 दिवस से अधिक की अवधि के लिए रिक्त न रहे।

(7) कोई भी ऐसा व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा और/या सदस्य बने रहने का हकदार नहीं रहेगा यदि वह निम्नांकित कारणों से अनर्ह समझा जाता है।

(क) दिवालिया दण्डित होने पर।

(ख) नैतिक अधमता को सम्मिलित करते हुए किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर।

(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से, सदस्य के रूप में, कार्य करने में असमर्थ होने पर।

(घ) किसी वित्तीय या अन्य ऐसे हित लाभ प्राप्त होने पर जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

(ण) पद का ऐसा दुरुपयोग करने पर जिससे उसका पद पर बने रहना जनहित के विरुद्ध हो।

(च) दुर्व्यवहार का दोषी होने पर।

(छ) ऐसे कृत्य (कार्यों) का दोषी जो किसी भी न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक कार्यवाही से अपेक्षित आचरण के मामले में अवरूद्ध हो।

(8) उपर्युक्त अयोग्यताओं में से किसी एक के उत्पन्न होने या पाये जाने पर कार्यरत सदस्य को तुरन्त पद से हटाया जा सकेगा।

परन्तु उपनियम (7) में विनिर्दिष्ट किसी कारण से किसी सदस्य को तब तक पद से हटाया नहीं जायेगा जब तक कि वितरण लाइसेन्सधारी के द्वारा जांच करा कर यह निष्कर्ष न निकाला गया हो कि उक्त सदस्य को इस आधार/आधारों पर निकाला जाना चाहिये।

(9) उपरोक्त उपनियम (2) के अधीन नियुक्त समस्त सदस्यों का बैठक शुल्क (सीटिंग फीस) देय शुल्क, मानदेय और/या अन्य मत्ते (जिन्हें संयुक्त रूप में पारिश्रमिक कहा जाता है) एक समान होंगे और जैसा वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा निहित किया जाय।

(10) सदस्यों को मंच के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिये अपेक्षित कार्यालय स्थल, सचिवीय सहायता तथा अन्य सुविधाएं वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा प्रदान की जायेंगी ।

(11) उपर्युक्त उप विनियम (9) के पूर्ववर्ती प्रावधानों के होते हुए भी वितरण लाइसेन्सधारी के सेवायोजन में मंच के सदस्य की सेवा शर्तें और निबन्धन ऐसे वितरण लाइसेन्सधारी के अधीन उस सेवा योजक की सेवा शर्तों आदि निबन्धन द्वारा नियंत्रित होंगी।

(12) मंच की स्थापना व संचालन में वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा किये गये समस्त अति विवेकशील उचित तथा न्याय संगत खर्च को वितरण लाइसेन्सधारी की दरों (टैरिफ) के निर्धारण में आयोग के विनियमों के अनुसार स्वीकृत किए जाएगें।

(13) मंच उपभोक्ताओं द्वारा लिखित रूप में अग्रसारित अथवा प्रस्तुत की गयी शिकायतों को स्वीकार करेगा तथा शिकायतें दर्ज करने अथवा उन पर विचार करने के लिए किसी विशेष प्रारूप को अपनाने या निर्देशित करने पर दबाव नहीं देगा।

(14) मंच अपना नियमित कार्यालय वितरण लाइसेन्सधारी के प्रत्येक अंचल में अपने कार्यक्षेत्र के किसी प्रमुख स्थान पर स्थापित करेगा जहां पर वह शिकायत प्राप्त करेगा। मंच अपनी बैठकें ऐसे प्रमुख कार्यालय तथा वितरण लाइसेन्सधारी के वितरण क्षेत्र में किसी अन्य स्थान पर भी करेगा जैसा कि मंच द्वारा समय–समय पर निश्चित किया जाए अथवा आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या, स्थान जहां से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं वितरण लाइसेन्सधारी के कारोबार के प्रमुख स्थान से निकटता तथा अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए समय–समय निदेश दिया जाए।

(15) वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा समय–समय पर मंच के गठन तथा इसके अस्तित्व का प्रचार किया जाएगा। यह उपभोक्ताओं को जारी किए जाने वाले बिलों द्वारा या ऐसी रीति से किया जा सकता है जो आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए। वितरण लाइसेन्सधारी अपने सभी कार्यालयों पर मंच के सदस्यों तथा सम्बन्धित अधिकारियों के नाम व पदनाम एवं मंच के सदस्यों का पता ई–मेल, दूरभाष नम्बर आदि प्रदर्शित किए जाएंगे तथा सम्यक् रूप से इनका प्रचार किया जाएगा, जिसमे उपभोक्ताओं के बिलों द्वारा प्रचार भी शामिल है।

(16) मंच कार्यालय शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित शिकायत की प्राप्ति की स्पष्ट तिथि तथा मंच कार्यालय की मुहर सहित शिकायतकर्ता को अभिस्वीकृति देगा। कोई भी शिकायत शिकायतकर्ता को बिना उसकी पावती की अभिस्वीकृति के वापस नहीं की जायेगी तथा उसका निस्तारण विधिनुसार किया जायेगा।

(17) मंच द्वारा समय–समय पर प्राप्त सभी शिकायतों के अभिलेखों के सत्य एवम् सही अभिलेख (रिकार्ड) रखा जाएगा तथा ऐसे अभिलेख निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा जैसा समय–समय पर आयोग द्वारा अपेक्षित हो।

(18) मंच प्राप्त शिकायतों पर यथाशीघ्र निर्णय लेगा और शिकायत प्राप्त होने के अधिकतम 60 दिन के भीतर अपने निर्णय से शिकायतकर्ता को सूचित करेगा। मंच द्वारा अपने निर्णयों के समर्थन में कारण भी बताने होंगे।

(19) यदि किसी मामले की सुनवाई में कोई सदस्य दूसरे सदस्यों के निर्णय से सहमत नहीं है तो वह कारणों सहित अपनी असहमति की टिप्पणी अंकित कर सकता है लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे सदस्यों के बहुमत से लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।

(20) मंच के समस्त निर्णय अधिनियम, नियम एवं उनके अधीन बनाए गये विनियमों के प्राविधानों एवं आयोग द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों एवं निर्देशों के अनुरूप होंगे।

(21) कार्यवाही पूर्ण होने पर,यदि मंच का समाधान हो जाता है कि शिकायत में दिया गया कोई आरोप सही है तो वह वितरण लाइसेन्सधारी को समयबद्ध तरीके से निम्नांकित में से एक या अधिक कार्य करने का निर्देश देते हुए आदेश जारी करेगा।

(क) आवेदक को उसके द्वारा किया गया अनुचित भुगतान वापस करें ।

(ख) मंच द्वारा अधिनिर्णित राशि का आवेदक को मुआवजे के रूप में भुगतान करे, तथापि किसी भी दशा मे कोई भी उपभोक्ता किसी अप्रत्यक्ष, पारिणामिक, प्रासंगिक, दण्डात्मक या निर्देशनात्मक क्षति, लाभ अथवा अवसर की क्षति का हकदार नहीं होगा चाहे वह किसी संविदा, अपकृत्य आश्वासन (वारंटी), कठोर दायित्व या कोई अन्य कानूनी सिद्धान्त द्वारा उत्पन्न हुआ हो।

(ग) प्रश्नगत समस्या के कारण का निवारण करें।

(घ) नियत अवधि में आदेशों का अनुपालन करें।

(ण) इस विनियम में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर अनुपालन (कम्प्लायन्स) रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(च) व्यथित व्यक्ति को समय सीमा के साथ उन बातों तथा उनकी समय सीमा से अवगत कराये जो आदेश के अनुपालन के लिये उससे अपेक्षित हैं।

(छ) अन्य कोई आदेश जो मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के अनुसार उचित समझा जाए।

(22) लाइसेन्सधारी अथवा शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित अथवा मौखिक सुझावों को विचारोपरान्त मंच अपने निर्णय के समर्थन में कारण देते हुए स्पष्ट आदेश पारित करेगा। प्रत्येक आदेश पर उन सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे जो मामले का निर्णय कर रहे हैं।

(23) मंच द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षों को तीन दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी ।

(24) मंच का आदेश व्यथित व्यक्ति तथा वितरण लाइसेन्सधारी दोनों के लिए बाध्य होगा ।

(25) वितरण लाइसेन्सधारी तथा आवेदक दोनों ही आदेश में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर तत्परता से आदेश का अनुपालन करेंगे तथा आदेश के कार्यान्वयन के अनुपालन की सूचना सात दिनों के अन्दर में सूचना मंच को देंगे। आदेशों के अनुपालन में मंच द्वारा अपने आदेश में दी गई समय सीमा से अधिक समय लगने पर वितरण लाइसेन्सधारी अथवा आवेदक, यथास्थिति नियत दिनांक से 7 दिन के अन्दर देरी का कारण स्पष्ट करते हुए सम्भावित दिनांक अवगत करायेगा जिस दिनांक तक आदेश का अनुपालन कर दिया जायेगा ।

(26) वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा आदेश के अनुपालन में, विलम्ब या अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब होने पर, हुई देरी पर, यदि मंच उचित समझे तो, यथोचित कार्यवाही कर सकता है।

(27) किसी भी पक्ष द्वारा मंच के आदेशों का अनुपालन न किया जाना इन विनिमयों का उल्लघंन होगा तथा विद्युत अधिनियम 2003, की धारा 142 एवं 46 सपठित धारा 149 के अधीन उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

(28) यदि कोई व्यक्ति मंच के आदेश अथवा किसी पक्ष द्वारा उसका कार्यान्वयन न किए जाने अथवा अन्य द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा में उसकी शिकायत का निराकरण न किए जाने के कारण व्यथित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा नियुक्त लोकपाल (ओम्बड्समैन) को ऐसे प्रपत्र और ऐसी रीति से अपील दायर कर सकता है जैसा आयोग दारा बनाई गई विनियम में निर्धारित किया जाए।

(29) आयोग के पास मंच के निरीक्षण तथा नियंत्रण के सामान्य सभी अधिकार होंगे तथा इस प्रयोजन के लिए आयोग मंच/लाइसेन्सधारी से कोई भी अभिलेख मांग सकता है तथा उस पर समुचित आदेश पारित कर सकता है। मंच/लाइसेन्सधारी आयोग द्वारा ऐसे पारित निर्देशों को सम्यक् रूप से अनुपालन किया जाएगा जो आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किए जांए।

अध्याय 3–सामान्य

4. व्यावृत्ति :

इस विनियम की कोई भी बात तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, (1986 का 68) भी शामिल है के अधीन उपभोक्ता के अधिकारों और विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी ।

5. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति :
यदि इस विनियम के किन्हीं उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई आती है, तो आयोग अपने साधारण या विशिष्ट आदेश द्वारा, वितरण लाइसेन्सधारी, मंच को उचित कार्यवाही करने का निर्देश दे सकता है जो विद्युत अधिनियम, 2003 से असंगत न हों, और आयोग को कठिनाइयाँ दूर करने के उददेश्य से आवश्यक अथवा समीचीन लगती हों।

6. संशोधन करने की शक्ति :
आयोग किसी भी समय इस विनियम के किसी भी उपबन्ध में परिवर्धन, परिवर्तन, संशोधन या रूपान्तरण कर सकता है ।

7. अभिलेखों का निरीक्षण तथा प्रमाणित प्रतिलिपियों की आपूर्ति :
(1) व्यथित व्यक्ति और वितरण लाइसेन्सधारी शिकायत के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये आदेशों, निर्णयों, निर्देशों तथा उनके समर्थन में दिए गये कारणों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने के हकदार होंगे।
(2) मंच द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने तथा शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति मंच के दस्तावेज या आदेशों की प्रतिलिपि प्राप्त करने का हकदार होगा ।

8. आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करना :
(1) मंच प्रत्येक तिमाही में प्राप्त, निपटाई गयी और लम्बित शिकायतों की संख्या तथा उनके लम्बित रहने के कारण की रिर्पोट तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर आयोग को प्रस्तुत करेगा।
(2) मंच प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक आयोग को एक टिप्पणी प्रस्तुत करेगा जिसमें गत वित्तीय वर्ष में किये अपने सभी कार्यालयों में कार्य कलापों की सामान्य समीक्षा होगी तथा ऐसी सूचना जो आयोग को अपेक्षित हो, प्रदान करेगा।

9. आदेश का जारी होना व कार्यान्वयन पद्धति सम्बन्धी निर्देश :
इन विनियमों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, आयोग समय–समय पर आदेश जारी कर सकता है तथा कार्यान्वयन पद्धति के सम्बन्ध में निर्देश दे सकता है।

अधिसूचना

फरवरी 26, 2007 ई0

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एल टी संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि एवं कमी) विनियम, 2007

संख्या एफ–9 (12)/आरजी/यूईआरसी/2007/961–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 व धारा 57 के साथ पठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ व लागू होना :

(1) ये विनियम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एल टी संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2007 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये विनियम सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होंगे।

(4) ये विनियम केवल एल टी संयोजनों पर लागू होंगे, इनमें नये संयोजन प्रदान करना तथा पहले स्वीकृत भारों में वृद्धि या कमी करना सम्मिलित होगा।

'यह विनियम दिनांक 03.03.2007 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

2. परिभाषाएं :

इन विनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(1) "विकासक" से ऐसा व्यक्ति या कम्पनी या संगठन या प्राधिकारी, अभिप्रेत है जो आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक उपयोग हेतु किसी क्षेत्र को विकसित करने के लिए जिम्मेदारी लेता है तथा इसमें विकास अभिकरण (जैसे मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण इत्यादि) कोलोनाइजर्स, बिल्डर्स, सहकारी सामूहिक आवासीय समितियाँ, संघ इत्यादि सम्मिलित हैं।

(2) "विद्युतीकरण क्षेत्र" से नगर निगम, नगर पालिका, नगरपालिका परिषद्, नगर क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र व अन्य नगर निकाय व गांवों में अनुज्ञापी/राज्य सरकार द्वारा विद्युतीकृत घोषित क्षेत्र अभिप्रेत होंगे।

(3) "छोड़े हुए लघु क्षेत्र" से एक विद्युतीकृत क्षेत्र के भीतर कोई क्षेत्र अभिप्रेत होंगे–

(क) जहां अनुज्ञापी ने कोई वितरण मेन लाईन नहीं बिछायी है तथा समीपस्थ वर्तमान वितरण मेन 201 मीटर या इससे अधिक दूरी पर है।

(ख) किसी विकासक द्वारा विकसित या विकसित किये जा रहे आवासीय या व्यवसायिक कॉलोनी/कॉम्पलेक्स, जिसमें ऐसी कॉलोनी/कॉम्पलेक्स, के भीतर वितरण मेन बिछाये ही नहीं गये हैं या ऐसी कॉलोनी/कॉम्पलेक्स का संभावित भार उठाने की क्षमता नहीं है या ऐसी अवमानक गुणवत्ता वाले हैं कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 में अनुबंधित प्रतिमानकों को पूरा नहीं करते हैं जिसमें जीवन व संम्पत्ति की हानि की संभावना है।

(4) "बकाया देयों" से विच्छेदन के समय पर उक्त परिक्षेत्र पर सभी लंबित देय तथा देर से संदाय अधिभार, जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (2) के अधीन हों, अभिप्रेत हैं।

(5) "नियमों" से भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 या भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन संरचित या उनके परवर्ती नियम अभिप्रेत हैं।

(6) इन विनियम में प्रयुक्त सभी शब्दों व अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो इन विनियम में परिभाषित नहीं है किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित हैं।

3. संयोजन प्रदान करने हेतु शर्तें :

(1) अनुज्ञापी, अपनी वेबसाईट तथा अपने सभी कार्यालयों में उन स्थानों, जहां उनकी ओर से नये संयोजन के लिए आवेदन स्वीकार किये जाते हैं, नये संयोजन प्रदान किये जाने हेतु विस्तृत प्रक्रिया तथा ऐसे आवेदनों के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की पूर्ण सूची, प्रमुखता से दर्शायेगा। सामान्य तौर पर ऐसा कोई दस्तावेज जो सूची में नहीं है, नहीं मांगा जायेगा। इस विनियम के नियम 5(10) में दी गई सारणी–1 के अनुरूप, आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि तथा सेवा लाईन की लागत प्रमुखता से दर्शायी जायेगी।

(2) जहां आवेदक ने ऐसी वर्तमान संपत्ति क्रय की है जिसका विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिया गया है तो यह आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह यह सत्यापित करे कि पूर्व स्वामी ने अनुज्ञापी को सभी देय राशियों का भुगतान कर दिया है तथा उससे " अदेयता, प्रमाण–पत्र" प्राप्त कर लिया है। यदि संपत्ति क्रय करने से पहले पूर्व स्वामी द्वारा ऐसा अदेयता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया गया है तो नया स्वामी, ऐसे प्रमाण–पत्र हेतु अनुज्ञापी के संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है। अनुज्ञापी ऐसे निवेदन की प्राप्ति स्वीकार करेगा तथा या तो वह सम्पत्ति पर बकाया देय धनराशि, यदि कुछ है, लिखित में सूचित करेगा या ऐसे आवेदन की तिथि से एक माह के भीतर "अदेयता प्रमाण–पत्र" जारी करेगा। यदि अनुज्ञापी इस समय के भीतर बकाया देय धनराशि की सूचना नहीं देता है या "अदेयता प्रमाण–पत्र" जारी नहीं करता तो पूर्व स्वामी को बकाया देय धनराशि के आधार पर, परिक्षेत्र में नये संयोजन को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थिति में अनुज्ञापी को विधि के उपबन्धों के अधीन, पूर्व उपभोक्ता से देय धनराशि वसूल करनी होगी।

(3) जहां कोई सम्पत्ति विधिसंगत रूप से उपविभाजित की गई है तो ऐसी अविभाजित सम्पत्ति पर ऊर्जा के उपयोग हेतु बकाया देय धनराशि, यदि कुछ है , तो वह ऐसी उपविभाजित सम्पत्ति के क्षेत्र के आधार पर यथानुपातिक रूप से विभाजित की जायेगी।

(4) ऐसे उपविभाजित परिक्षेत्र के किसी भाग हेतु नवीन संयोजन विधिसंगत रूप में विभाजित ऐसे परिक्षेत्र पर लागू बकाया देय धनराशि का भाग, आवेदक द्वारा अदा कर दिये जाने के पश्चात् ही दिया जायेगा। एक अनुज्ञापी, केवल इस आधार पर कि ऐसे परिक्षेत्र के अन्य भाग (गों) की देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है, किसी आवेदक को संयोजन हेतु इनकार नहीं करेगा, ना ही अनुज्ञापी, ऐसे आवेदकों से अन्य भाग (गों) के पिछले भुगतान किये गये बिलों का रिकार्ड मांगेगा।

(5) सम्पूर्ण परिक्षेत्र या भवन के गिराये जाने व पुनर्निर्माण के मामले में वर्तमान संस्थापन वापस सौंप दिया जायेगा तथा अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा। मीटर तथा सेवा लाईन को हटा दिया जायेगा तथा पुराने परिक्षेत्र पर सभी देय धनराशियों के भुगतान के पश्चात्, पुनर्निर्मित भवन हेतु एक नवीन संयोजन लिया जायेगा। ऐसे मामलों में निर्माण के उद्देश्य हेतु, वर्तमान संयोजन में से अस्थायी विद्युत सेवा की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(6) एक नये उपभोक्ता को संयोजन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन व परिचालन) विनियम, 2006 के उपबन्धों के अनुसार केवल सही विद्युत मीटर के साथ ही प्रदान किया जायेगा तथा उक्त विनियम में निर्धारित किये अनुसार ही इसकी संस्थापना की जायेगी।

4. नये संयोजन हेतु आवेदन :

एक नये संयोजन हेतु आवेदन, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा किया जायेगा तथा इसके पश्चात् नीचे दिये गये अनुसार अनुज्ञापी द्वारा कार्यवाही होगी :–

(1) एक नया विद्युत संयोजन प्राप्त करने का इच्छुक भावी उपभोक्ता, अनुज्ञापी को इस हेतु आवेदन, परिशिष्ट–1 में दिये गये निर्धारित आवेदन प्रपत्र में, करेगा।

(2) निर्धारित आवेदन प्रपत्र, अनुज्ञापी के उपखण्ड कार्यालय या किसी अन्य कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं या अनुज्ञापी की विभागीय वैबसाईट www.uttaranchalpower.com. तथा www.upcl.org से डाऊनलोड किये जा सकते हैं या फोटो कापी भी किये जा सकते हैं।

(3) आवेदन प्रपत्र के साथ जमा किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज निम्नलिखित हैं:–

(क) स्वामित्व या अधिकार (औक्यूपेन्सी) का प्रमाण–पत्र :

जिस परिक्षेत्र पर संयोजन अपेक्षित है, उसके स्वामित्व या अधिकार के प्रमाण स्वरूप, आवेदक, निम्नलिखित में से कोई एक दस्वावेज जमा करेगा:–

(i) विक्रय लेख या पट्टा लेख की प्रति या खसरा या खतौनी की प्रति, या

(ii) रजिस्ट्रीकृत सामान्य मुख्त्यारनामा, या

(iii) नगर पालिका कर रसीद या मांग सूचना या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज, या

(iv) आवंटन–पत्र

(v) एक आवेदक जो परिक्षेत्र का स्वामी नहीं है किन्तु परिक्षेत्र पर उसका कब्जा है, उपरोक्त सं0 (i) से (iv) में दिये दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज के साथ, परिक्षेत्र के स्वामी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी जमा करेगा।

(ख) पहचान प्रमाण–पत्र :

यदि आवेदक एक अकेला व्यक्ति है तो पहचान पत्र के प्रमाण स्वरूप, निम्नलिखित में से किसी एक दस्वावेज की प्रति जमा करानी होगी :–

(i) निर्वाचन पहचान कार्ड, या

(ii) पासपोर्ट, या

(iii) ड्राइविंग लाइसैन्स, या

(iv) फोटो राशन कार्ड, या

(v) सरकारी एजेन्सी द्वारा जारी फोटो पहचान, या

(vi) ग्राम प्रधान या पटवारी/लेखपाल/ग्राम स्तर के कार्यकर्ता/ग्राम चौकीदार/प्राथमिक विद्यालय अध्यापक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी इत्यादि का प्रमाण पत्र,

यदि आवेदक कोई कम्पनी, न्यास, विद्यालय/महाविद्यालय, सरकारी विभाग इत्यादि है तो संबंधित संस्था के प्रासंगिक प्रस्ताव प्राधिकारी पत्र के साथ आवेदन पर शाखा प्रबन्धक, प्रधानाचार्य, अधिशासी अभियन्ता जैसे सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर भी अपेक्षित होंगे।

(ग) वचनबंध :

परिशिष्ट 1.1 में दिये गये प्रारूप में यह प्रमाणित करते हुए एक वचनबंध कि परिक्षेत्र में वायरिंग व अन्य विद्युत कार्य, लागू अधिनियम/नियमों व विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप किया गया है।

(4) आवेदक से विधिवत भरा प्रपत्र प्राप्त करने के पश्चात्, अनुज्ञापी का प्राधिकृत अधिकारी आवेदन प्रपत्र की जांच करेगा तथा आवेदन में यदि कोई कमियां पाई जायें तो उन्हें आवेदक से तुरन्त सुधरवाया जायेगा।

(5) नये संयोजन हेतु किसी भी आवेदक को अनुज्ञापी द्वारा "तकनीकी रूप से साध्य नहीं" जैसे कारणों या किसी सामग्री की बाध्यता के कारण वापस नहीं लौटाया जायेगा।

5. अनुज्ञापी द्वारा आवेदन–पत्र का प्रोसेसिंग :

(1) आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने पर, अनुज्ञापी तिथि डालकर उसकी प्राप्ति स्वीकृति करेगा।

(2) जैसा कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 के नियम 47 से अधीन अपेक्षित है, आवेदन प्राप्ति की तिथि से 5 दिन के भीतर आवेदक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में, अनुज्ञापी आवेदक के संस्थापन का निरीक्षण व परीक्षण करेगा। संस्थापन का परीक्षण भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 48 में दी गयी प्रकिया के अनुसार किया जायेगा तथा निरीक्षक अधिकारी, जैसा कि उससे भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 47 के अधीन अपेक्षित है, प्राप्त परीक्षण के परिणामों का रिकार्ड परिशिष्ट 1.2 में दिये गये प्रपत्र में रखेगा।

(3) यदि परीक्षण पर अनुज्ञापी को कोई त्रुटि मिलती है जैसे कि संस्थापन का पूरा ना होना या कंडक्टर के अनावृत्त सिरों को या जोड़ों को इन्सुलेटिंग टेप से पूरी तरह ढका ना होना या वायरिंग का इस प्रकार किया जाना कि वह जीवन/सम्पत्ति के लिए हानिकारक हो तो वह परिशिष्ट 1.2 में दिये गये प्रपत्र में उसी समय रसीद के साथ आवेदक को इसकी सूचना देगा।

(4) यदि आवेदन–पत्र में इसका उल्लेख नहीं है तो अनुज्ञापी, सम्पत्ति के समीप भूमि चिन्ह के साथ तथा जहां से सेवा संयोजन दिया जाना प्रस्तावित है, वहां से खम्भे की संख्या सहित परिक्षेत्र का सही तथा पूरा पता भी रिकार्ड करेगा, यह सूचना भविष्य में मीटर पढ़ने तथा बिलिंग के लिए आवश्यक है।

(5) आवेदक 15 दिन के भीतर सभी त्रुटियों को दूर करेगा तथा प्राप्ति स्वीकृति के अधीन अनुज्ञापी को लिखित में इसकी सूचना देगा। यदि आवेदक ऐसी त्रुटियों को दूर करने में असफल रहता है या त्रुटियों को दूर किये जाने के संबंध में अनुज्ञापी को सूचित करने में असफल रहता है तो आवेदन व्यपगत (लैप्स) हो जायेगा तथा आवेदक को फिर से आवेदन करना होगा।

(6) त्रुटियों को दूर किए जाने के संबंध में आवेदक से सूचना प्राप्त होने पर, अनुज्ञापी ऐसी सूचना प्राप्ति के पांच दिन के भीतर संस्थापन का पुनः निरीक्षण तथा परीक्षण करेगा, यदि पहले बतायी गयी त्रुटियां तब भी जारी हों तो अनुज्ञापी उन्हें परिशिष्ट 1.2 में दिये गये प्रपत्र में फिर से रिकार्ड करेगा तथा उसकी एक प्रति आवेदक या स्थल पर उपलब्ध उसके प्रतिनिधि को देगा। आवेदन तब व्यपगत (लैप्स) हो जायेगा व प्राप्ति स्वीकृति के अधीन आवेदक को यह सूचना दे दी जायेगी। यदि आवेदक अनुज्ञापी के इस कृत्य से व्यथित हो तो वह विद्युत निरीक्षक से अपील कर सकता है जिसका अधिमत इस संबंध में अंतिम तथा बाध्यकारक होगा।

(7) अनुज्ञापी यह भी अभिनिश्चित करेगा कि क्या परिक्षेत्र पर कोई देय धन राशि बकाया है तथा यदि है तो अनुज्ञापी ऐसी बकाया राशि का पूर्ण विवरण देते हुए, आवेदन की तिथि से पांच दिन के भीतर एक मांग नोट जारी करेगा। आवेदक को यह बकाया देय धनराशि पन्द्रह दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उसका आवेदन व्यपगत (लैप्स) हो जायेगा तथा प्राप्ति की स्वीकृति के अधीन लिखित में उसको इसकी सूचना दे दी जायेगी।

(8) यदि निरीक्षण पर यह पाया जाता है कि त्रुटियां दूर कर दी गयी हैं तथा कोई देय राशि बकाया नहीं है या उसका भुगतान कर दिया गया है तो अनुज्ञापी, पूर्व निर्धारित प्रति मानकों के अनुसार निर्धारित भार स्वीकृत करेगा जो कि आयोग द्वारा स्वीकृत अथवा आवेदित भार दोनों में से जो अधिक है, होगा तथा पांच दिन के भीतर आवेदक को इसकी सूचना देगा।

(9) यदि आवेदन की तिथि से 5 दिन के भीतर आवेदक को कोई त्रुटि नोट या मांग नोट प्राप्त नहीं होता है तो आवेदित भार स्वीकृत कर लिया गया समझा जायेगा तथा अनुज्ञापी इन आधारों पर संयोजन प्रदान करने से इनकार नहीं करेगा।

(10) भार स्वीकृत किये जाने से 5 दिन के भीतर, आवेदक नीचे सारिणी–1 में दिये गये निर्धारित प्रभार नकद या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करेगा:–

सारिणी–1 सेवा लाईन प्रभार व प्रारंभिक प्रतिभूति

क्रम संख्या	संविदाकृत भार (कि0वा0)	सेवा लाईन प्रभार (रु0)		प्रारंभिक प्रतिभूति (रु0/कि0वा0)			
		ऊपरी	भूमि के नीचे	घरेलू	अघरेलू	औद्योगिक	पी0टी0 डब्लू
1.	बी0पी0एल0/लाईफ लाईन (यदि कुटीर ज्योति या केन्द्र/राज्य सरकार की ऐसी ही किसी योजना के अधीन समावेशित न हो)	100	लागू नहीं	100	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	4 कि0 वा0 से कम या उसके बराबर	400	800				
3.	4 कि0वा0 से अधिक व 10 कि0वा0 के बराबर	1,000	2,000				
4.	10 कि0वा0 से अधिक व 20 कि0वा0 के बराबर	2,000	4,000	400	1,000	1,000	100
5.	20 कि0वा0 से अधिक व 50 कि0वा0 के बराबर	5,000	10,000				
6.	50 कि0वा0 से अधिक व 75 कि0वा0 के बराबर	7,500	15,000				

(i) उपरोक्त सेवा लाईन प्रभार वास्तव में अपेक्षित सेवा लाईन की लम्बाई का विचार किये बिना है।

(ii) भूमि के नीचे की सेवा लाईन हेतु प्रभार में विभिन्न सामग्री जैसे जी0आई0 पाईप, ईंट, रेता, मजदूरी इत्यादि की लागत सम्मिलित है।

(iii) अनुज्ञापी पिछले 12 माहों के दौरान रिकार्ड किये गये वास्तविक उपयोग के आधार पर प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को सभी वर्तमान उपभोक्ताओं की प्रतिभूति जमा की समीक्षा व पुनर्निर्धारण करेगा। [मानकीय उपयोग (एन.आर./एन.ए/आई.डी.एफ./ए.डी.एफ/आर.डी.एफ) आधार पर तैयार किये गये बिलों पर अपेक्षित प्रतिभूति जमा के आकलन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।] किसी उपभोक्ता से अपेक्षित प्रतिभूति 2 माह में औसत उपभोग हेतु देय प्रभार के बराबर होगी। यदि अनुज्ञापी के पास प्रतिभूति जमा, उपरोक्त गणनानुसार, अपेक्षित राशि से कम पड़ती है तो अनुज्ञापी अगले बिलिंग चक्र में उतनी अतिरिक्त राशि जोड़ते हुए बिल प्रेषित करेगा। यदि अनुज्ञापी के पास प्रतिभूति जमा, अपेक्षित धनराशि से अधिक है तो अधिक प्रतिभूति अगले बिल में समायोजित की जायेगी।

(iv) इस राशि पर ब्याज, समय–समय पर आयोग द्वारा दिये गये निदेशानुसार देय होगा।

(11) अनुज्ञापी, निम्नलिखित से 30 दिन के भीतर एक सही मीटर के माध्यम से संयोजन को क्रियाशील करने के लिए बाध्यताधीन होगा :–

(क) यदि कोई त्रुटि या बकाया देय धनराशि न हो तो आवेदन की तिथि,

(ख) त्रुटियां दूर करने की सूचना की तिथि या बकाया देय धनराशि का शोधन, दोनों में से, जो बाद में हो।

(12) यदि अनुज्ञापी, उपरोक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी आवेदक को संयोजन प्रदान करने में असफल रहता है तो वह आवेदक द्वारा जमा करायी गयी राशि पर रु0 10 प्रति रु0 1000 (या उसका एक भाग) जुर्माना देने का जिम्मेदार होगा, जो व्यतिक्रम में प्रतिदिन हेतु अधिकतम रु0 1000 तक होगा।

(13) अनुज्ञापी, मासिक रूप से खण्ड वाइज रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसमें उन संयोजनों की संख्या का विवरण उल्लेखित होगा जिन्हें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रियाशील नहीं किया गया है तथा ऐसे व्यतिक्रम के कारण एकत्रित जुर्माना भी जमा करायेगा।

(14) यदि इन विनियमों के अनुरूप उसका संयोजन क्रियाशील नहीं होता है तो आवेदक, आवेदन की तिथि, अनुज्ञापी द्वारा निरीक्षण की तिथि इत्यादि का पूर्ण विवरण देते हुए आयोग के समक्ष इस संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

6. छूटे हुए लघु क्षेत्र में नवीन संयोजन :

(1) यदि किसी छूटे हुए लघु क्षेत्र में एक नया संयोजन आपेक्षित है जिसमें अनुज्ञापी को अपने वितरण मेन विस्तारित करने या नये वितरण मेन बिछाने या एक उपस्टेशन लगाने की आवश्यकता है तो अनुज्ञापी, आपूर्ति प्रदान करने में लगने वाले अपेक्षित समय की सूचना आवेदक को देगा जो कि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा:–

(क)	यदि केवल वितरण मेन का विस्तार करना है	60 दिन
(ख)	यदि एक नये उप स्टेशन को भी लगाना है	90 दिन
(ग)	यदि एक नये 33/11 के0वी0 उपस्टेशन को लगाना है	180 दिन

(2) उपरोक्त मामले में आवेदक को, ऊपर दी गई सारिणी–1 में विनिर्दिष्ट प्रभारों के अतिरिक्त, नीचे दी गई सारिणी–2 में दिये एक मुश्त विकास प्रभार भी जमा करने होंगे :–

सारिणी–2 विकास प्रभार

क0सं0	संविदाकृत भार (कि0वा0)	प्रभार (रु0)
1.	4 कि0वा0 से कम या उसके बराबर	4,000
2.	4 कि0वा0 से अधिक व 10 कि0वा0 के बराबर	10,000
3.	10 कि0वा0 से अधिक व 20 कि0वा0 के बराबर	20,000
4.	20 कि0वा0 से अधिक व 50 कि0वा0 के बराबर	50,000
5.	50 कि0वा0 से अधिक व 75 कि0वा0 के बराबर	75,000

(3) एक क्षेत्र में प्रथम संयोजन दिये जाने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर इस क्षेत्र में किसी छूटे हुए लघु क्षेत्र में तथा नया संयोजन चाहने वाला आवेदक भी उपरोक्त बताये गये एक मुश्त विकास प्रभार का भुगतान करेगा। इन आंकड़ों को उपरोक्त विनियम 3(1) में संदर्भित स्थलों पर प्रमुखता से दर्शाया जायेगा। ऐसे छूटे हुए लघु क्षेत्र में स्वीकृत भार में उसकी वृद्धि चाहने वाला आवेदक अतिरिक्त विकास प्रभार का भुगतान करेगा जिसकी गणना, मूल प्रभार प्राप्त करते समय किये गये भुगतानों को ध्यान में रख कर की जायेगी।

(4) विकासक के क्षेत्र के उपभोक्ताओं की ओर से विकासक द्वारा अनुज्ञापी को विकास प्रभार का एक मुश्त इस प्रकार भुगतान किया जायेगा जिस प्रकार कि विकासक व संबंधित उपभोक्ता आपस में सहमत हों या अपने परिक्षेत्र हेतु संयोजन की मांग करते समय उस क्षेत्र के प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा सीधे अनुज्ञापी को भुगतान किया जायेगा।

7. उपरोक्त सारिणी 1 व 2 में 'निर्धारित प्रभारों' के अतिरिक्त मीटर का मूल्य, अतिरिक्त केबिल, प्रोसेसिंग फीस आदि जैसे कोई अन्य प्रभार, किसी नये संयोजन के आवेदन कर्ता द्वारा देय नहीं होंगे।

8. स्वीकृत भार में वृद्धि/कमी हेतु प्रक्रिया:–

(1) उपभोक्ता, वित्तीय वर्ष में एक बार कभी भी अपने संविदाकृत भार में वृद्धि या कमी कर सकते हैं।

(2) इसके लिए उपभोक्ता, परिशिष्ट 2 में दिये गये तथा अनुज्ञापी के उपखण्ड कार्यालयों से निःशुल्क उपलब्ध प्रपत्र में अनुज्ञापी को आवेदन करेंगे। इन प्रपत्रों को अनुज्ञापी की वेबसाईट से डाउनलोड भी किया जा सकता है।

(3) आवेदक को उसके आवेदन की प्राप्ति हेतु लिखित व दिनांकित प्राप्ति रसीद दी जायेगी।

(4) प्रभार में वृद्धि चाहने वाला उपभोक्ता प्रतिभूति का भुगतान करेगा तथा यदि सेवा लाईन को उच्च क्षमता की सेवा लाईन द्वारा परिवर्तित करना आवश्यक होता है, तो उसे उपरोक्त सारिणी—1 के अनुसार सेवा लाईन भार का भी भुगतान करना होगा। वर्तमान भार हेतु पहले से भुगतान की गई प्रतिभूति राशि समायोजित की जायेगी।

(5) यदि उपभोक्ता द्वारा चाही गई भार में कमी के कारण वर्तमान सेवा लाईन मीटर इत्यादि परिवर्तन करना अपेक्षित हो तो उपभोक्ता, अनुज्ञापी को, उपरोक्त सारिणी—1 के अनुसार सेवा लाईन प्रभार का भी भुगतान करेगा तथा कम किये गये भार हेतु अपेक्षित प्रतिभूति जमा व पहले से किये गये जमा का अन्तर, अगले दो बिलिंग चक्रों में समायोजित किया जायेगा।

(6) भार में कमी के निवेदन पर विचार करते समय अनुज्ञापी पहले उक्त उपभोक्ता के वास्तविक उपभोग का विवरण सत्यापित करेगा। यदि वास्तविक उपभोग के प्रतिरूप से यह इंगित होता है कि पूर्व में वास्तव में उपयोग किया गया भार, मांगे जाने वाले भार से अधिक है तो मांग की गई कमी की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा आवेदक को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा। उदाहरण—

उन संस्थापनों के लिए जहां एम0डी0आई0 के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीटर संस्थापित किये गये हैं:—

भार श्रेणी	औद्योगिक
स्वीकृत भार	50 के.वी.ए
भार में निवेदित कमी	35 के.वी.ए
पिछले 12 माह में अधिकतम मांग	40 के.वी.ए.

क्योंकि, एम0डी0आई0 द्वारा इंगित किये अनुसार पिछले 12 माह में अधिकतम मांग भार में निवेदित कमी से अधिक थी अतः भार में कमी का निवेदन माना नहीं जायेगा।

उन स्थानों के लिए जहां मीटर एम0डी0आई0 के साथ लगाए गये हैं:—

भार की श्रेणी	घरेलू
स्वीकृत भार	7 के0डब्लू0
भार में कमी	4 के0डब्लू0
अधिकतम उपयोग विगत 12 माह के दौरान	600 के0डब्लू0एच0/के0डब्लू0
घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत प्राथमिक उपयोग	100 के0डब्लू0एच0
प्राथमिक उपयोग की गणना	600/100 = 6 के0डब्लू0

*टेरिफ ऑर्डर के अन्तर्गत प्राथमिक क्लि का प्राथमिक उपयोग।

चूंकि विगत 12 माह में औसत भार निर्धारित भार से अधिक रहा है अतः भार में कमी का निवेदन माना नहीं जायेगा।

(7) भार में वृद्धि/कमी की मांग करने वाले आवेदनों की प्राप्ति के पश्चात् 30 दिन के भीतर स्वीकृत भार में वृद्धि/कमी की जायेगी। यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर भार में वृद्धि/कमी नहीं हो जाती है तो अनुज्ञापी द्वारा रू0 500 का जुर्माना देय होगा।

परिशिष्ट 1

नये संयोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए

प्रभाग का नाम	
उप प्रभाग का नाम	
आवेदन संख्या	
प्राप्ति तिथि	

1– आवेदक का नाम

2– पता जिस पर आपूर्ति अपेक्षित है	मकान/प्लाट		
	गली		
	कॉलोनी/क्षेत्र		
	जिला		
दूरभाष, यदि कोई है		मोबाइल, यदि कोई है	

यदि आवेदक कोई कम्पनी/संगठन या संघ है

3–स्थायी पता	मकान/प्लाट			
	गली			
	कॉलोनी/क्षेत्र			
	जिला			
दूरभाष, यदि कोई है			मोबाइल, यदि कोई है	

यदि आवेदक किरायेदार या कब्जाधारी है

4–सम्पत्ति के स्वामी का पता	मकान/प्लाट		
	गली		
	कॉलोनी/क्षेत्र		
	जिला		
दूरभाष, यदि कोई है		मोबाइल, यदि कोई है	

5–आवेदित भार के0ड्ब्लू0 में)	
6–प्लाट का आकार व निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर) (केवल घरेलू व अघरेलू संयोजन हेतु)	

7– अ उपयोग	जो लागू हो, उस पर चिन्ह लगायें ए–घरेलू बी–अघरेलू सी–औद्योगिक डी–व्यक्तिगत ट्यूबवैल	
8–यदि परिक्षेत्र में कोई विद्युत संयोजन विद्यमान है		हां/नहीं
9–यदि हां तो निम्नलिखित विवरण दें:–		
(ए)–सेवा संयोजन संख्या		
(बी)–पुस्तक संख्या		

11–समीपस्थ भूमि चिन्ह खम्बा संख्या/फीडर पिलर संख्या/समीपस्थ मकान संख्या	

(अनुज्ञापी द्वारा भरा जाये)

12–संलग्न दस्तावेजों की	1	पहचान/पते का सबूत (निम्नलिखित में से किसी एक की प्रति) किसी एक पर सूची निशान लगाएं– ए–निर्वाचन पहचान कार्ड बी–पासपोर्ट सी–ड्राइविंग लाइसेन्स डी–फोटो राशन कार्ड इ–सरकारी अभिकरण द्वारा जारी फोटो पहचान कार्ड एफ–ग्राम प्रधान, प्रधान या पटवारी/लेखपाल/ग्राम स्तर कार्यकर्ता/ग्राम चौकीदार/प्राथमिक पाठशाला अध्यापक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी जैसे ग्राम स्तर के सरकारी कार्यकर्ता से प्रमाण–पत्र
	2	स्वामित्व/कब्जे का सबूत (निम्नलिखित में से एक की प्रति) किसी एक पर निशान लगाएं:– ए–विक्रय लेख या पट्ट लेख की प्रति या खसरा खतौनी की प्रति या बी–रजिस्ट्रीकृत मुख्तारनामा या सी–नगरपालिका कर रसीद या मांग नोटिस या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज या आवंटन पत्र एक आवेदक जो कि परिक्षेत्र का स्वामी नहीं है, किन्तु कब्जा धारी है, उपरोक्त डी–(ए) से (सी) में अंकित किसी दस्तावेज के साथ परिक्षेत्र के स्वामी का निराक्षेप प्रमाण भी प्रस्तुत करेगा।
	3	निर्धारित प्रारूप में आवेदक द्वारा घोषणा

दिनांक हस्ताक्षर

पावती

निम्नलिखित विवरणानुसार विद्युत हेतु नये संयोजन के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया :–

1. आवेदक का नाम _____
2. पता जहां संयोजन अपेक्षित है _____
3. आवेदित भार _____

रबर स्टैम्प

यू0पी0सी0एल0 प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
नाम व पद।

परिशिष्ट 1.1

घोषणा / वचन बंध

मैं, ———— पुत्र श्री ———— निवासी ———— (इसके पश्चात्) "आवेदक" संदर्भित, जिस शब्द के अभिप्राय में निष्पादन, प्रशासक उत्तराधिकारी, उत्तरवर्ती व समनुदेशक सम्मिलित हैं) एतद्द्वारा निम्नलिखित शपथ लेते हैं व घोषणा करते हैं :–

———— कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन निगमित, जिसका कार्यालय ———— पर (इसके पश्चात् "आवेदक" सन्दर्भित, जैसा कि पद में, जब तक कि संदर्भ में या उसके अभिप्राय में विरुद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी व समनुदेशक सम्मिलित हैं) एतद्द्वारा निम्नलिखित शपथ लेते हैं व घोषणा करते हैं

कि आवेदक ———— पर परिक्षेत्र का विधिपूर्ण कब्जाधारी है, जिसके समर्थन में आवेदक ने कब्जे का सबूत दिया है कि आवेदक ने यू0पी0सी0एल0 से, आवेदन प्रपत्र में उल्लेखित उद्देश्य हेतु आवेदक के नाम पर उपरोक्त उल्लेखित परिक्षेत्र में एक सेवा संयोजन प्रदान करने का निवेदन किया है।

कि घोषणा प्रस्तुत करते समय आवेदक ने यह भली भांति समझ लिया है कि यदि भविष्य में उसका यह कथन झूठा या गलत साबित होता है तो यू0पी0सी0एल0 को पूरा अधिकार होगा कि वह बिना किसी सूचना के आवेदक की आपूर्ति विच्छेद कर दे तथा उपभोक्ता प्रतिभूति जमा के सापेक्ष देयों का समावेश करे।

कि आवेदक एतद्द्वारा सहमति प्रदान करता है व वचन देता है कि–

(1) आवेदक को दिये जाने वाले नये सेवा संयोजन के कारण यू0पी0सी0एल0 को होने वाली सभी कार्यवाहियों, दावों, मांगों, लागतों, हानियों, व्ययों के सापेक्ष क्षतिपूर्ति करने का।

(2) कि परिक्षेत्र के भीतर किये गये सभी विद्युत कार्य हमारी पूरी जानकारी अनुसार भारतीय विद्युत नियमावली के अनुरूप हैं। (जहां आवेदन पुनर्संयोजन के लिए है या आवेदन परिक्षेत्र का कब्जाधारी है।)

(3) इस सम्बन्ध में आवेदक को हुई किसी हानि के लिए यू0पी0सी0एल0 क्षतिपूरक है। इसके अतिरिक्त, आवेदक सहमत है कि उसके परिक्षेत्र के भीतर विद्युत कार्य में त्रुटि के कारण यदि यू0पी0सी0एल0 की सम्पत्ति को कोई अपहानि / हानि होती है तो सभी दायित्व आवेदक द्वारा वहन किये जायेंगे।

(4) नियमित रूप से तथा भुगतान हेतु शोध्य होने पर, समय–समय पर प्रवृत्त आपूर्ति हेतु विविध प्रभार, व यू0पी0सी0एल0 की दर सूची में नियत दरों पर विद्युत उपयोग बिल व अन्य प्रभार के भुगतान हेतु।

(5) पूर्ववर्ती वर्ष में आवेदक के उपभोग पर आधारित समय–समय यू0पी0सी0एल0 द्वारा संशोधित, अतिरिक्त उपभोग जमा को जमा करना।

(6) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों, विद्युत आपूर्ति, संहिता, शुल्क आदेश तथा समय–समय पर लागू उ0वि0नि0आ0 द्वारा अधिसूचित कोई अन्य नियमों या विनियमों का पालन करना।

(7) संविदाकृत अवधि की समाप्ति से पूर्व या किसी संविदात्मक त्रुटि के कारण, अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, आवेदक द्वारा भुगतान की गई उपभोक्ता प्रतिभूति जमा के सापेक्ष, यू0पी0सी0एल0 विद्युत उपभोग प्रभार अन्य प्रभार के साथ समायोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(8) यू0पी0सी0एल0 द्वारा उपलब्ध कराये गये मीटर, सी0टी0, केबल इत्यादि को संरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए उत्तरदायी होना तथा यदि आवेदक के कारण उपकरणों को कोई क्षति पहुंचती है तो आवेदक उसका प्रभार भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, मीटर इत्यादि की सील टूटने के कारण या प्रत्यक्ष / बेईमानी से विद्युत निकालने के कारण होने वाली सभी प्रतिक्रियाओं व वर्तमान विधि अनुसार आवेदक उत्तरदायी होगा।

(9) मीटर पढ़ने तथा इसकी जांच इत्यादि के उद्देश्य हेतु मीटर तक स्पष्ट व अविल्लंगम पहुंच प्रदान करना।

(10) कि किसी व्यतिक्रम या कानूनी उपबंध की अवहेलना पर तथा कानूनी प्राधिकार द्वारा ऐसे आदेश को लागू करने के लिए कानूनी बाध्यता होने पर आवेदक, यू0पी0सी0एल0 को सेवा विच्छेदित करने देगा। यह विच्छेदन की तिथि पर अपने भुगतान पाने सहित यू0पी0सी0एल0 के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(11) कि यू0पी0सी0एल0, विद्युत की आपूर्ति में अवरोध या ह्रास हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

(12) आवेदक द्वारा की गई उपरोक्त सभी घोषणाएं, यू0पी0सी0एल0 व आवेदक के मध्य एक करार मानी जायेंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम।

हस्ताक्षर व प्राप्ति
साक्षी की उपस्थिति में
साक्षी का नाम

परिशिष्ट 1.2

परीक्षण परिणाम रिपोर्ट

(भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के नियम 47 व 48 का संदर्भ लें)
(अनुज्ञापी के प्रतिनिधि द्वारा भरा जाये)

इन्सुलेशन रेजिस्टेन्स का परिणाम (फेज कन्डक्टर व अर्थ के मध्य एक मिनट के लिए 500 वोल्ट का दबाव देकर नापने पर)

फेज–1 व अर्थ फेज–2 व अर्थ फेज–3 व अर्थ

1. फेज व अर्थ के मध्य

सावधानी–जब कोई उपभोक्ता उपकरण जैसे कि पंखे, ट्यूब्स, बल्ब इत्यादि सर्किट में हों तो फेज व न्युट्रल के मध्य या फेजों के मध्य इन्सुलेशन रेजिस्टेन्स को नहीं नापा जायेगा क्योंकि ऐसे परीक्षण के परिणाम उपकरण की रेजिस्टेन्स को दर्शायेंगे न कि संस्थापन की इन्सुलेशन रेजिस्टेन्स।

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 33 के अधीन अपेक्षित अर्थ टर्मिनल यू0पी0सी0एल0 द्वारा उपलब्ध कराया गया है तथा यह टर्मिनल यू0पी0सी0एल0 के अर्थिंग सिस्टम के साथ संयोजित किया गया है।

आपके विद्युत संस्थापन में निम्नलिखित कमियां पायी गयी हैं, आपसे निवेदन है कि उन्हें पन्द्रह दिन के भीतर दिनांक ———————— दूर कर दें तथा यू0पी0सी0एल0 को सूचित करें, ऐसा न करने पर, नये संयोजन हेतु आपका निवेदन निरस्त हो जायेगा।

1– _____
2– _____
3– _____
4– _____

दिनांक

अनुज्ञापी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
नाम व पता

(आवेदक द्वारा भरा जाये)

परिक्षेत्र का परीक्षण अनुज्ञापी द्वारा मेरी उपस्थिति में किया गया तथा
मैं परीक्षण से सन्तुष्ट हूँ
मैं परीक्षण से सन्तुष्ट नहीं हूँ और अपील विद्युत निरीक्षक के समक्ष दायर कर सकता हूँ।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यू0पी0सी0एल0 ने परिक्षेत्र में, भारतीय विद्युत नियमावली, 1965 के नियम 33 के अनुरूप एक अर्थ टर्मिनल उपलब्ध कराया है/नहीं कराया है तथा यह अर्थ टर्मिनल यू0पी0सी0एल0 के अर्थिंग सिस्टम के साथ संयोजित किया गया है/नहीं किया गया है।

दिनांक _____

आवेदक के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट 2

भार वृद्धि / कमी हेतु आवेदन

आवेदन संख्या			
आवेदन दिनांक			
भार वृद्धि		भार में कमी	
वर्तमान स्वीकृत भार		वर्तमान स्वीकृत भार	
भार में निवेदित वृद्धि		भार में निवेदित कमी	
1	उपभोक्ता संख्या		
1. अ	पुस्तक संख्या		
2	उपभोक्ता का नाम		
पता जिस पर आपूर्ति प्रदान की जानी है	मकान / प्लाट		
	गली		
	कालोनी / क्षेत्र		
	जिला		
दूरभाष		मोबाइल–	

दिनांक _____

आवेदक के हस्ताक्षर

आयोग की आज्ञा से,

आनंद कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 हिन्दी गजट / 98–भाग 1–क–2007 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।